8.4.22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी उप. नहीं है। वकील वादी व स्वयं वादी को मौके पर आवाज लगवाई गयी बावजूद इन्तजार के न्याया. में उप. नहीं है। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:09:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner